उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 1768/रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 16.9.2013

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग--1
संख्या-- 1088/सत्तर--1--2013--20(13)/2006
लखनऊ : दिनांक : 10 सितम्बर, 2013

कार्यालय--ज्ञाप

कार्यालय--ज्ञाप संख्या--1004/सत्तर--1--2012--20(13)/2006 दिनांक 14--8--2013 द्वारा, निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या--154/सत्तर--1--2008--20(13)/2006 दिनांक 06--02--2008 को संशोधित करते हुए प्रस्तर--2.9 के उप प्रस्तर (2) में निम्न प्रावधान किया गया :--

"2.9(2) ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत न्यूनतम 100 एकड़ तथा नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत न्यूनतम 40 एकड़ की परस्पर सटी हुई भूमि का स्वामित्व हो।"

2-- सम्यक् विचारोपरान्त उक्त कार्यालय--ज्ञाप संख्या--1004/सत्तर--1--2012--20(13)/2006 दिनांक 14--08--2013 के प्रस्तर--2.9 के उप प्रस्तर (2) में उक्त के अतिरिक्त निम्नवत् प्रावधान जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है :--

"भूमि के बीच में यदि कोई सार्वजनिक सड़क, पब्लिक लिंक रोड/ग्राम सभा की चकरोड उक्त भूमि को विभाजित करती है तो उसे परस्पर सटी हुई ही माना जाय।"

3-- उक्त कार्यालय--ज्ञाप संख्या--1004/सत्तर--1--2012--20(13)/ 2006 दिनांक 14--8--2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

नीरज कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संजय
16/9/13

Private Uni. U.O.

संख्या–/०४४(1)/सत्तर–1–2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001
2. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 (भारत)।
6. सचिव, एसोसिएशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, फिरोजशाह कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002
7. सदस्य सचिव, बार कौंसिल आफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू उर्दूघर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
10. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
12. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश को उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
13. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
14. समस्त अधिकारी/अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(निधि केसरवानी)
विशेष सचिव।